मै0 अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड (यूनिट–रूड़की), गांव लकेश्वरी, पोस्ट ऑफिस–सिकंदरपुर भैंसवाल, तहसील–भगवानपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट की उत्पादन क्षमता 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 3.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता विस्तारीकरण हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Prior Environment Cleareance) के लिए दिनांक 18.01.2025 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत।

मै0 अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड (यूनिट–रूड़की), गांव लकेश्वरी, पोस्ट ऑफिस–सिकंदरपुर भैंसवाल, तहसील–भगवानपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट की उत्पादन क्षमता 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 3.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता विस्तारीकरण हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई आयोजित करने का अनुरोध ड्राफ्ट ई0आई0ए0 रिपोर्ट के साथ उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत आच्छादित है तथा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रावधान है। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमानुसार लोक सुनवाई की तिथि की सूचना 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्रों यथा– ''हिन्दुस्तान हिन्दी'' (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं ''हिन्दुस्तान टाईम्स'' (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित की गयी थी। **(संलग्नक–01)।**

लोक सुनवाई जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार द्वारा नामित श्री जितेन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी, भगवानपुर, जिला– हरिद्वार की अध्यक्षता में **दिनांक 18.01.2025** को **प्रातः 11:00 बजे से अंबुजा फाउन्डेशन परिसर, गांव लकेश्वरी, पोस्ट ऑफिस–सिकंदरपुर भैंसवाल, तहसील–भगवानपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार में आयोजित की गयी। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण की** ओर से डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अंधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार है **(संलग्नक–02)**।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार आयोजित की जा रही है। मै0 अंबुजा सीमेंट लि0 की ओर से पर्यावरण परामर्शी डा0 आशीष मिश्रा द्वारा सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में प्रस्तावित विस्तारीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया गया कि क्षमता विस्तारीकरण के अन्तर्गत लगभग रू0 299.51 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है जिसमें रू0 8.70 करोड़ पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित है। क्षमता विस्तारीकरण वर्तमान में उपलब्ध 20.07 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित है। अतः अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नही है। उपलब्ध भूमि का 33% भाग में हरित पट्टिका विकसित की गयी है। प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण में अतिरिक्त 25 के0एल0डी0 जल की आवश्यकता होगी। ईधन के रूप में कोयला एवं एल0डी0ओ0 प्रयुक्त किया जाना है। प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण हेतु परियोजना क्षेत्र में मार्च– मई, 2023 तक विभिन्न पर्यावरणीय घटकों जैसे वायु गुणवत्ता, ध्वनि स्तर, भू–जल की गुणवत्ता, सतही जल की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति एवं जीव–जन्तु तथा समाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण आदि का अध्ययन किया

गया, जिसके आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विभिन्न उपाय प्रस्तावित किये गये हैं। प्रस्तुतिकरण में अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा आस–पास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जैविक खेती, जल संरक्षण, भू–जल सम्वर्धन, कौशल विकास आदि विषयों पर किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रस्तुत की गयी।

प्रस्तुतिकरण के उपरान्त जन समुदाय से उद्योग के प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण के सम्बन्ध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये। आपत्तियां/सुझाव का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. श्रीमती अंजली सैनी, ग्राम–सईदपुर द्वारा अवगत किया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। अतः उद्योग के विकास के साथ साथ सामुदायिक कार्यो में भी वृद्धि होगी।

2. श्री जॉली गसेरिया, पूर्व ग्राम प्रधान, रायपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा सी0एस0आर0 के माध्यम से आस–पास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैम्प के साथ–साथ ग्रमीण विद्यालयों में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। महिला समूह के गठन से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। श्री जॉली द्वारा सुझाव दिया गया कि रायपुर, सिकन्दरपुर एवं खुब्बनपुर के प्राईमरी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों को सहयोग की आवश्यकता है ताकि उनकी शिक्षा सुचारू रूप से हो सके। श्री जॉली द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा सुझाव दिया गया कि गॉव वासियों के सहयोग से क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2000 वृक्षों के रोपण का लक्ष्य रखा जाये।

3. श्री नाजिम, प्रधान सिकन्दरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में लोगों के पास रोजगार न होने के कारण आय का साधन नही हैं। गांव में वर्तमान तक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण लोगों को भगवानपुर जाना पड़ता है जिससे गांव के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सहयोग आवश्यक है।

4. श्री रवि किरण सैनी, ग्राम–रायपुर, भगवानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउण्डेशन द्वारा पर्यावरण के साथ–साथ आस–पास के गावों के विकास में योगदान किया जाता है। श्री सैनी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण के सापेक्ष सामुदायिक विकास कार्यों में भी वृद्धि की जाये। अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा किसान समूह, जैविक खेती पशु पालन, कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में अधिक गहनता से कार्य किये जाने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि उत्पादों के विपणन में सहयोग किया जाये।

5. श्री तरूण खुराना, देसाना पॉलीप्लास्ट, लकेश्वरी उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा सीमेंट द्वारा Dust Pollution को नियंत्रित करने के लिए कार्य करना चाहिए एवं जल संचय एवं जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाये।

6. श्री गौतम कपूर, भगवानपुर औद्योगिक संगठन द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा सीमेंट द्वारा पूर्व में भी औद्योगिक क्षेत्र की सड़क निर्माण में सहयोग किया गया। अम्बुजा सीमेंट द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण से राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सी0एस0आर0 के अन्तर्गत अम्बुजा सीमेंट द्वारा किये जा रहे कार्यो से अन्य उद्योगों को भी प्रेरणा मिलेगी।

7. श्री बृजपाल सिंह, चेयरमैन गन्ना विकास समिति द्वारा किसानों का सहयोग के लिये अम्बुजा फाउन्डेशन का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। श्री बृजपाल सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि क्षेत्र में जैविक खेती एवं फलदार वृक्षों को बढ़ावा देना चाहिए।

8. श्रीमती राजकुमारी, ग्राम मोहितपुर द्वारा पशुपालन, आजिविका विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अम्बुजा सिमेंट के सहयोग की सराहना की। श्रीमती राजकुमारी द्वारा अपेक्षा की गयी की भविष्य में भी जन विकास के कार्य जारी रहेंगे।

9. श्रीमती सावित्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों का नवीनीकरण किया गया तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था की गयी। श्रीमती सावत्री द्वारा अनुरोध किया गया कि शेष आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी बिजली एवं पानी की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये।

10. श्रीमती मंजुरानी, ग्राम सईदपुर, द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण, रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं जैविक खेती हेतु सहयोग के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा विकास में सहयोग किया जा रहा है। कृषि विकास में उन्नत किस्म के बीजों का वितरण किया गया। श्रीमती मंजुरानी द्वारा अपेक्षा की गयी की भविष्य में पेयजल की व्यवस्था, गरीब/निर्धन विद्यार्थीयों को सहयोग के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किये जाये।

11. सुश्री अंजु, सिकन्दरपुर भैंसवाल द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन के सहयोग से उनके द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जिससे उन्हे रोजगार प्राप्त हुआ है। क्षेत्र के बांलक–बालिकाओं के कौशल विकास में फाउन्डेशन द्वारा अमूल्य सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

12. श्रीमती राखी, चौली शहाबुद्दीनपुर द्वारा क्षेत्र में पेयजल एवं बिजली की समस्या से अवगत कराया गया एवं अम्बुजा फाउन्डेशन से पेयजन एवं विद्युत के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की गयी।

13. श्रीमती अमृता, वाल्मीकि स्वंय सहायता समूह, सिकन्दपुर भैंसवाल द्वारा अवगत कराया गया अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा महिलाओं के समूह का गठन कर तथा प्रशिक्षित कर उन्हे स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये, जिससे महिला सशक्तिकरण में सहयोग मिला।

14. श्री नौशाद कुरेशी द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा रोजगार हेतु कौशल विकास सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं। उद्योग के विकास के साथ–साथ जन समुदाय के कार्यो में भी वृद्धि होगी।

15. श्री सचिन त्यागी, सढ़ौली, नारसन रोड़ द्वारा अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की गयी। श्री त्यागी द्वारा अम्बुजा फाउन्डेशन के अवगत किया गया कि प्रति 03 से 06 माह के अंतराल पर स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया जाये। श्री त्यागी द्वारा अम्बुजा फाउन्डेशन से अनुरोध किया गया कि उनके कार्यो को नारसन ब्लाक में भी प्रारम्भ किया जाये।

16. श्री शिवम कुमार, ग्राम–कुंजा बहादुरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा समुदायिक विकास एवं कौशल विकास प्रशिक्षण से स्थानीय बेरोजगारों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अतः उद्योग को क्षमता विस्तारीकरण की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

17. श्री धर्मवीर सिंह, ग्राम–खुब्बनपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि विद्यालयों/स्कूलों के सौन्दर्यीकरण तथा किसानों को जैविक खेती हेतु प्रेरित करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता बतायी गयी। दुग्ध विकास में फाउन्डेशन के सहयोग से किसानों को लाभ हुआ है।

18. श्री सददाम हुसैन, ग्राम–चौली शहाबुद्दीनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के उत्पादन क्षमता विस्तारीकरण से बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनके द्वारा उद्योग में स्थानीय बेरोजगारों को अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

19. श्री देशराज, ग्रम सिकंदरपुर भैंसवाल द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग की क्षमता विस्तारीकरण के साथ–साथ स्थानीय गॉव के लोगो को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें। अतः उद्योग को क्षमता विस्तारीकरण की अनुमति प्रदान की जाये।

20. श्री प्रिंस सैनी, ग्रम सिकंदरपुर भैंसवाल के द्वारा सुझाव दिया गया कि उद्योग को विस्तारीकरण के साथ ही वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने हेतु भी कार्य किया जाना चाहिए एवं साथ ही लोगों को स्वास्थ सम्बन्धी सुविधाऐं भी देनी चाहिए। अंबुजा फाउन्डेशन के अतिरिक्त क्षेत्र में स्थापित अन्य उद्योगों को भी क्षेत्र के लोगां को रोजगार उपलब्ध कराने एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेंत्र में कार्य करना चाहिए।

21. श्री बालेश, ग्रम दौडबस्सी, ओम साई राम समूह द्वारा बताया गया कि समूह से जुडकर महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं सिलाई मशीन दी गयी। फाउन्डेशन द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया गया।

22. श्री मुकेश चौहान, प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल ग्रम सईदपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा विद्यालयों के रख रखाव में सहयोग किया जा रहा है। श्री चौहान द्वारा अनुरोध किया गया कि क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। अतः फाउन्डेशन से जनजागरूकता के साथ–साथ कम्प्यूटर शिक्षा में भी सहयोग की अपेक्षा की गयी।

23. श्री नवीन कुमार, ग्रम सईदपुर द्वारा उद्योग के क्षमता विस्तारीकण के साथ–साथ प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को किये जाने का सुझाव दिया गया। श्री नवीन कुमार द्वारा सुझाव दिया गया कि कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुऐ कम्पनी का सहयोग किया जाना चाहिए।

24. श्री अशोक चौहान, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, खुब्बनपुर द्वारा विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष के निर्माण में सहयोग की अपेक्षा की गयी। कम्प्यूटर बस द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु अभियान चलाया जाना चाहिये जिससे विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा मिल सके।

25. श्री ऋषिपाल, ग्रम दौड़बस्सी द्वारा अवगत कराया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा दिये गये जैविक खेती के प्रशिक्षण से कृषि कार्य कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

26. श्री आदिल राणा, प्रेस क्लब भगवानपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि अम्बुजा फाउन्डेशन द्वारा सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, जैविक खेती विकास, कौशल विकास आदि क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की गयी। श्री राणा द्वारा अपेक्षा की गयी है कि फाउन्डेशन अपने कार्यों के सम्बन्ध में स्थानीय मिडिया को भी समय–समय पर अवगत कराये ताकि उनके कार्यों के बारे में जन मानस को अवगत कराया जा सके।

लोक सुनवाई प्रकिया के संचालन के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की द्वारा जन सामान्य द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं को जन समुदाय के समक्ष रखा गया। तदोपरान्त मै0 अम्बुजा सीमेन्ट लि0 के मुख्य उत्पादन अधिकारी (नार्थ क्लस्टर) श्री मुकेश सक्सेना द्वारा उपस्थित जन समुदाय द्वारा रखे गये मुख्य बिन्दुओं पर कम्पनी की ओर से प्रतिबद्धता ज्ञापित की गयी। श्री सक्सेना द्वारा स्थानीय स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज, गरीब बच्चों को सहयोग, आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़िकरण तथा सम्पर्क मार्गो के विकास आदि में सहयोग की प्रतिवद्धता दोहरायी गयी। श्री सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में डस्ट/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक तकनीकी के उपकरण स्थापित किये जायेगें। श्री सक्सेना द्वारा उद्योग में स्थानीय/प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता का आश्वासन दिया गया।

लोकसुनचाई के अन्त में उपजिलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा अम्बुजा फाउन्डेशन क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो की सराहना की गयी। उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना एवं समुचित संचालन तथा रख रखाव को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने का सुझाव दिया गया। उपजिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष के निर्माण में सहयोग की अपेक्षा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा जन समुदाय को अवगत कराया

गया कि जन सुनवाई में उनके द्वारा रखे गये सुझाव/आपत्तियों को संकलित किया गया है जिसे विडियोग्राफी, फोटोग्राफ सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित् किये जाने हैं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नकः–

1. फोटोग्राफी –03 सैट
2. विडियो रिकाडिंग –03 पैनड्राईव
3. उपस्थिति पंजिका –03 प्रतियां

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की, जिला–हरिद्वार।

(जितेन्द्र कुमार)
उपजिलाधिकारी,
भगवानपुर, हरिद्वार।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

Annexure No. 2

(1)

दि० 18.01.2025 को मैं० अम्बुजा सीमेन्ट लि०, ग्राम लकेश्वरी, पो० सिकन्दरपुर, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार द्वारा प्रस्तावित सीमेन्ट ग्राइडिंग यूनिट की उत्पादन क्षमता 1.2 एम०टी०पी०ए० से 3.0 एम०टी०पी०ए० हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित जनसुनवाई की उपस्थिति।

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	जितेन्द्र कुमार	उपजिलाधिकारी, भगवानपुर	
2	डा० राजेन्द्र सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी, UKPCB, Roorkee	[signature]
3	डा० अजीत सिंह	सहा० वैज्ञा० अधिकारी, UKPCB	[signature]
4	डा० शाहिदा परवीन	जे०आर०एफ०, यू०के०पी०सी०बी०	Shahida
5	Tulesh Saxena	CMO North	[signature]
6	Sarabjit Singh	Plant Head - Ambuja Roorkee	[signature]
7	Dr. Pramod Ranjan	Roorkee	[signature]
8	Dr Ashish Mishra	Ecoment Consultant	Ashish
9	Sanjeev kr Singh	Ecomen Mining Pvt Ltd Environment	S.k.S.
10	बृजपालसिंह	ग्राम देवा हुड्डा पो० अकबरपुर ऊद (हरिद्वार)	BP Singh
11	Arvind Panwar	Bhagtowali	Panwar
12	Desh Raj	Sikanderpur Bhagwa	देशराज
13	Shiv Kumar	" "	शिवकुमार
14	Omprakash Sonkar	G.H.S.S. Mohitpur	[signature]
15	Prince saini	Saharanpur Behat Tehsil	Prince saini
16	Ankur Kumar	Lawra Bhagwanpur	Ankur
17	Shanky Saini	Lakeshwpur Bhagwanpur	[signature]
18	महीपाल सिंह	ग्राम [illegible]	[signature]
19	Ashok Kumar	Bhagwanpur	Ashok
20	विनय चौधरी	मानकपुर	Vinay
21	Sachin Tyagi	Sadholi	Sachin
22	सुधीर [illegible]	[illegible]	Sudhir
23	Sachin kumar	Tejpur	Sachin kumar

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
24	कन्हारामदत्त	मुन्डियाका	[signature]
25	हरिओम राणा	छनका	[signature]
26	अनिल कुमार	गी सईदपुर	अनिल
27	Aakash Saini	Hallamazra	[signature]
28	अनिल कुमार	जसवाडेडा	अनिल कुमार
29	नाथीराम	मानकमाजरा	नाथीराम
30	Mahendr Singh	Akbarpur Kalso	M Singh
31	Ravi kumar	Belli masahi	Ravi
32	Jasveer Singh	Dada Patti	J. Singh
33	विमलेश आंग	रघुबलमपुर	विमलेश
34	उषा रानी (आशा)	"	उषा रानी
35	Renu (A.W.)	रघुबलमपुर	Renu
36	Anjuli (A.W.W)	"	Anjuli
37	इन्द्राणी (A.W.W.)		Indraj
38	Sandipa	बढेडी बुजुर्ग	Sandipa
39	सविता देवी (A.W.W)	बढेडी बुजुर्ग	सविता देवी
40	उर्मिला रानी A.W.W	"	[signature]
41	शालिनी ACF	[illegible]	Shalini
42	ज्योति	~~सिकन्दरपुर~~	[signature]
43	मीना	सिरचन्दी	[signature]
44	रेखा	बढेडी बुजुर्ग	Rakhi
45	निशा शर्मा	सिकन्दरपुर	निशा
46	स्वयागता	सिकन्दरपुर	स्वयागता
47	Ritika (S.K.P)	"	Ritika
48	समर जहाँ	रायपुर, भगवानपुर	समर जहाँ
49	शिप्रा शर्मा	सिकन्दरपुर	[signature]
50	गीता	सिकन्दरपुर	गीता
51	[illegible]	सिकन्दरपुर	[signature]
52	रेखा	सिकन्दरपुर	रेखा

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
53	अनीता	खुब्बनपुर	[illegible]
54	पूजा	खुब्बनपुर	पूजा
55	कोमल	खुब्बनपुर	Komal
56	देव कुमार [illegible]	खुब्बनपुर	[illegible]
57	Kavita ([illegible])	Khubbanpur	Kavita
58	योगेश	प्रेमनगर [illegible]	योगेश
59	धर्मवीर सिंह	खुब्बनपुर	[illegible]
60	नसीम	"	नसीम
61	Rishi Pal	Daud bari	Rishi Pal
62	[illegible] सिंह चौहान	खुब्बनपुर	[illegible]
63	राकेश कुमार शर्मा	खुब्बनपुर	राकेश कुमार
64	पुष्पेन्द्र कुमार	सिकन्दरपुर	Pushpendra
65	[illegible]	सिकन्दरपुर भैंसवाल	Parmila
66	गोविन्द	सिकन्दरपुर भैंसवाल	गोविन्द
67	योगेन्द्र कुमार	सिरचन्दी	[illegible]
68	सागर चौधरी	[illegible]	Chaudhary
69	हेमन्त कुमार	सिकन्दरपुर	[illegible]
70	योगेश कुमार	सिकन्दरपुर	योगेश कुमार
71	योगेश शर्मा	[illegible]	योगेश शर्मा
72	राजेश कश्यप	सिकन्दरपुर	[illegible]
73	मांगेराम	[illegible]	मांगेराम
74	मोहित राणा	सिकन्दरपुर	मोहित राणा
75	Mashkoor Alam [illegible]	Roorkee	प्रदीप
76	[illegible] दौड़बसी	दौड़बसी	प्रदीप
77	दौड़बसी [illegible]	दौड़बसी	[illegible]
78	आलम	[illegible]	Alam
79	Shahjad khan	Sikandarpur	[illegible]
80	Saddam	Chodli	[illegible]
81	सलीम अहमद	[illegible]	